न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :— आशुतोष कुमावत,
(राज.न्या.सेवा) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन विचारण प्रकरण संख्या :— 01/2018

सी.आई.एस. संख्या :— 09/2018

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, द्वितीय।

अभियोगी

बनाम

विकास शर्मा पुत्र स्व. श्री काशीराम, निवासी—गॉव बडा डहर भंगा, पुलिस थाना टाटीडजारियां जिला—हजारीबाग, हाल प्लॉट नं. 29, मॉ वैष्णव नगर, लालरपुरा, थाना करणी विहार, जयपुर।

अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी विकल्प में 306 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थिति :—

1. राज. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश गजराज।

2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण सुश्री/श्रीमती नीलम चौहान, श्री कृष्ण कुमार और श्री राजेश गंगवाल।

अपराध की दिनांक	12.6.2017 से 22.09.2017 के मध्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	451/17 दिनांक 25.09.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	22.12.2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	08.05.2018
साक्ष्य शुरू करने की दिनांक	24.07.2018
बयान—मुलजिम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	28.04.2025
दिनांक, जिस दिन से निर्णय रिजर्व रखा गया	17.05.2025
निर्णय की दिनांक	22.05.2025
सजा आदेश की दिनांक, यदि कोई	22.05.2025

हो तो							
क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर आजाद होने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप लगाया गया है	चाहे बरी कर दिया गया हो या दोषी ठहराया गया हो	सुनाई गई सजा	धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान हिरासत में ली गई अवधि
1.	विकास शर्मा	13.11.2017	29.01.2019	498ए, 304बी विकल्प में 306 भा.दं.सं.	498ए, 304बी भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध	498ए भादस में 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000/—रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 माह का साधारण कारावास तथा धारा 304बी भा.द.सं. में आजीवन कारावास।	13.11.2017 से 29.01.2019 तक

<u>निर्णय</u> **दिनांकः.22.05.2025**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Hari Commdt. v/s Union of India (2023 Live Law (sc) 303;2023 Supreme(sc) 359) के अनुक्रम में 'विषय सूची—निर्णय' मय पृष्ठ संख्या निम्नानुसार है :—

S.No.	Subject	Page/s
1	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य	2 से 3
2	प्रकरण में की गई कार्यवाही	3 से 6
3	अवधारणीय बिन्दू	6 से 7
4	पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य	7 से 14
5	पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्क	14 से 16
6	अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय	16 से 28
7	निष्कर्ष	28 से 29
8	आदेश	29 से 29
9	दण्डादेश	30 से 31

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25.09.2017 को परिवादी मुकेश कुमार ने थानाधिकारी, पुलिस थाना करणीविहार, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 इस आशय की दर्ज

करवाई कि उसकी बहिन किरण का विवाह 12 जून 2017 को विकास राणा के साथ होना हुआ था, जिसके साथ दूसरे दिन से ही मारपीट और प्रताडित करना चालू कर दिया, अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल एवं सोने की चैन की मांग की गई एवं पूरे परिवार द्वारा नगद दो लाख रूपये की मांग की गई। परिवादी का आगे यह भी कथन रहा है कि वह उक्त मांग की पूर्ति नहीं कर पाये और दिनांक 22.09.2017 को उसकी बहिन के पति के भाई राहुल कुमार ने फोन पर किरण द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास करने और उसकी हालत गम्भीर होने की सूचना दी और उसके कुछ देर पश्चात् उसके बडे भाई संजय कुमार के मोबाईल पर फोन करने पर उसके द्वारा किरण की मौत हो जाना बताया, उसकी बहिन किरण कुमारी की हत्या पूरे परिवार द्वारा मिल कर करने का आरोप लगाया है आदि आदि।

प्रकरण में की गई कार्यवाही :-

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 451/2017, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

4. बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 22.12.2017 को अभियुक्त विकास शर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो कि उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी विकल्प में धारा 306 भा.द.सं. के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित गवाहान/दस्तावेजात पेश कर आरोपित अपराध बाबत् अभियोग प्रस्तुत किया :–

क्र.सं.	साक्षी संख्या	परीक्षा की तिथि	साक्षी का विवरण	साक्ष्य का प्रकार
01.	पी.ड.–01	24.07.2018	विनोद कुमार महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का चचेरा भाई

02.	पी.ड.—02	23.11.2017	मुकेश कुमार महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का भाई /परिवादी
03.	पी.ड.—03	03.12.2018	सुमित कुमार महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का चचेरा भाई
04.	पी.ड.—04	03.12.2018	राजेश राणा महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का जीजा
05.	पी.ड.—05	07.03.2019	डॉ. जितेन्द्र जोशी चिकित्सकीय साक्षी	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक
06	पी.ड.—05	09.04.2010	चेतनलाल मिस्त्री महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का पिता
7	पी.ड.—07	06.09.2018	डॉ. शशि मीणा चिकित्सक साक्षी	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला गवाह
8	पी.ड.—07	04.05.2019	डॉ. रविन्द्र सचदेव चिकित्सकीय साक्षी	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला गवाह
9	पी.ड.—08	15.07.2019	मुकेश स्वतंत्र साक्षी	अभियुक्त की गिरफ्तारी का गवाह
10	पी.ड.—9	15.07.2019	संजीव कुमार स्वतंत्र साक्षी	अभियुक्त की गिरफ्तारी का गवाह
11	पी.ड.—10	02.12.2019	महेन्द्र राणा महत्वपूर्ण गवाह	मृतका का मामा
12	पी.ड.—11	08.01.2020	संतोष कुमार औपचारिक साक्षी	प्रदर्श पी—9 का गवाह
13	पी.ड.—12	11.02.2020	सुरज्ञान अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी—12/13 की गवाह
14	पी.ड.—13	17.03.2020	श्रीराम स्वामी स्वतंत्र साक्षी	प्रदर्श पी—14 का गवाह
15	पी.ड.—14	03.03.2021	महादेव अनुसंधान साक्षी	फर्द प्रदर्श पी—13/14 का गवाह
16	पी.ड.—15	03.03.2021	पुखराज अनुसंधान साक्षी	सुसाईड नोट व नोट बुक की फर्द जब्ती प्रदर्श पी—15 का गवाह

17	पी.ड.—16	17.03.2021	नगेन्द्र सिंह अनुसंधान साक्षी	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 का गवाह
18	पी.ड.—17	28.10.2021	महावीर सिंह अनुसंधान साक्षी	आरोप पत्र पेशकर्ता
19	पी.ड.—18	28.10.21	रामावतार सोनी अनुसंधान साक्षी	अनुसंधान अधिकारी
20	पी.ड.—19	04.03.2024	संजू बाला अनुसंधान साक्षी	मालखाना इन्चार्ज
21	पी.ड.—20	13.03.2024	विनोद कुमार अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श डी—2 का गवाह

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :—

क.सं.	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श**
1	तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी—2
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी—3
3	पंचायतनामा	प्रदर्श पी—4
4	फर्द जब्ती एक रजिस्टर	प्रदर्श पी—5
5	रसीद सुपुदर्गी लाश	प्रदर्श पी—6
6	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श पी—6
7	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी—7
8	नक्शा मौका	प्रदर्श पी—8
9	फर्द खाना तलाशी मकान	प्रदर्श पी—9
10	पुलिस बयान महेन्द्र राणा	प्रदर्श पी—10
11	फर्द जब्ती दो चुन्नी के टुकडे	प्रदर्श पी—11

12	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–12/13
13	फर्द जब्ती दहेज सामान	दोनों प्रदर्श पी–14
14	फर्द जब्ती सुसाईड नोट व एक नोट बुक	प्रदर्श पी–15
15	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी–16/17
16	मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी–18ए/19ए	प्रदर्श पी–18ए/19ए

8. अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवायेः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	पुलिस बयान मुकेश कुमार	प्रदर्श डी–1
2	अभियुक्त के बडे भाई संजय कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	प्रदर्श डी–2
3	नोट बुक	प्रदर्श डी–3
4	एडमिट कार्ड एवं प्रवेश प्रत्रक	प्रदर्श डी–4 व डी–5
5	सुसाईड नोट	प्रदर्श डी–6

अवधारणीय बिन्दू :–

9. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(ए) क्या अभियुक्त विकास शर्मा ने मृतका किरण से दिनांक 12.06.2017 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?

(बी) क्या अभियुक्त विकास शर्मा ने मृतका किरण से दिनांक 12.06.2017 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और मृतका की मृत्यु से ठीक

पूर्व तक मृतका से उपरोक्त वर्णित मांग को दोहराते हुए उसे मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कारित की, जिसके उपरांत मृतका की सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्षों के भीतर फांसी के फंदे पर लटकने से मृत्यु हुई?

विकल्प में

(सी) क्या अभियुक्त ने मृतका किरण से दिनांक 12.06.2017 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे मृतका आत्महत्या करने के लिये विवश हुई, जिसकी परिणति में मृतका द्वारा दिनांक 21.0.9.2017 एवं 22.09.2017 की मध्यरात्रि को अपने ससुराल मं फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गई ?

(डी)यदि हॉ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

पत्रावली पर आई साक्ष्य :—

उपरोक्तानुसार वर्णित आरोप के सन्दर्भ में पत्रावली पर अभियोजन की साक्ष्य निम्न हैः—

महत्वपूर्ण साक्षीगण :—

11. गवाह पीड—1 मृतका के चचेरे भाई विनोद कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि किरण की शादी विकास शर्मा के साथ 12 जून 2017 को हुई थी। ससुराल में कैसे रही पता नहीं। दिनांक 22 सितम्बर 2017 को उन्हें किरण द्वारा फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। ससुराल में कैसे रही मालूम नहीं। मुकेश ने बताया कि विकास सोने की चैन व 2 लाख रूपये की मांग कर रहा है, उसके लिए तंग—परेशान करते थे, तंग व मारपीट करते थे। फांसी का कारण मुकेश के बताए अनुसार दहेज की मांग है।

12. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि मुकेश आज उसे गवाही देने के लिये साथ लेकर आया है। पूर्व में जो बयान दिये थे वह मुकेश के कहने पर ही दिये थे। यह कहना सही है कि अभियुक्त एवं मृतका की शादी सामूहिक विवाह सम्मलेन में हुई थी। दहेज की मांग के संबंध में मुकेश ने बताया था। शादी से पहले और बाद में दहेज की मांग किरण के ससुराल वालों व पति ने उसके सामने नहीं की थी। मृतका की मृत्यु होने से पूर्व उसकी उससे किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। किरण ने उससे कभी नहीं कहा कि उसका पति

व ससुराल वाले उससे दहेज की मांग कर रहे है।

13. गवाह पीड–2 मुकेश कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी बहिन की शादी विकास के साथ 12 जुलाई 2017 को हुई थी। विकास ने बताया था कि वह फोटोग्राफी का कार्य करता है। विकास बाईक और चैन की मांग कर रहा है और विकास के परिवार वाले 2 लाख रूपये की मांग कर रहे है यह बात उसे किरण ने बताई थी। किरण द्वारा फांसी लगाने की सूचना उसे फोन से प्राप्त हुई और विकास के भाई संजय ने बताया कि किरण की मौत हो गई है। उसे नहीं लगता कि किरण ने अपने आप फांसी खाई है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि किरण की शादी सामूहिक सम्मेलन में हुई थी। वह अपनी बहिन की शादी होने के बाद एक बार भी अपनी बहिन किरण के ससुराल नहीं गया। शादी के बाद उसकी बहिन व उसके मध्य कई बार बात हुई। किरण के पास पसर्नल फोन नहीं था उसकी विकास के फोन पर घर में किसी के फोन पर बात हो जाती थी। शादी के शुरूआती दिनों में किरण ने यह कहा कि वह ठीक–ठाक है और मरने के 20–25 दिन पूर्व उसने बताया कि ससुराल वाले मारपीट करते है, दहेज की मांग करते है और विकास भी उसके साथ मारपीट करता है। यह कहना सही है कि उसकी बहिन द्वारा बताया गया कि उसके साथ प्रताडना हो रही है उसके बाद भी वह जयपुर नहीं आया। यह बात सही है कि शादी की तारीख से शादी से पूर्व वो तीन माह तक ससुराल में रही। यह कहना सही है कि 3 माह तक ससुराल में रहने के दौरान भी उसने यह नहीं बताया कि उसने पहले भी कभी आत्महत्या की कोशिश की है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि विकास तथा उसके घरवालों ने प्रत्यक्ष रूप से उससे व उसके परिवार वालों से दहेज की मांग नहीं की। उसे जैसा बताया वह किरण ने ही बताया था। उसकी बहिन की मृत्यु होने के बाद पता चला कि विकास झारखण्ड गया हुआ है। झारखण्ड के अगले स्टेशन से विकास उसके साथ आया था। विकास तथा वह जयपुर साथ ही आए थे। दाह संस्थारन में विकास उसके साथ में ही था। दाह संस्कार के समय भी उसके परिवार वालों व विकास के परिवार वालों में कहा सुनी नहीं हुई। रेल में विकास से उसकी थोडी बहुत बात हुई थी। यह कहना सही है कि झारखंड से लेकर दाह संस्कार तक विकास व उसके घरवालो को मृतका की मृत्यु से संबंधित उसके द्वारा व मेरे परिवारवालो

द्वारा कुछ नही कहा गया अज खुद कहा कि उसके द्वारा अस्पताल में विकास के भाई को यह कहा था कि उसने उसकी बहन को मार दिया। बहन की मृत्यु की सूचना उसे फोन द्वारा मिल गई थी समय का मुझे पता नही तारीख 22 सितम्बर थी। गांव से आते समय हम लोग 5 लोग थे, उस समय विकास हमारे साथ मे था। उसकी बहन से उसकी बात हुई थी तो मैने कहा था कि उसके आने की जरूरत है तो किरण ने कहा था कि अभी आने की जरूरत नही है नवरात्रा में वह आ रही है तब बैठकर आराम से बात कर लेगें। यह कहना गलत है कि उसकी बहन ने उस समय उसे आने के लिए मना किया था, तो इसका कारण यह था कि उस समय वो मानसिक रूप से परेशान नही थी अज खुद कहा कि हो सकता है कि उसने डर के कारण नही बुलाया हो। वह मदद करने के लिए तैयार था लेकिन उसकी बहन ने उसे मदद करने के लिए मना कर दिया था। उसे पता नही है कि वह जयपुर में पहुंचने से पहले किरण के ससुरालवालो ने थाने में सूचना दे दी हो अज खुद कहा कि उसे तो सुबह थाने से फोन आया था कि मृतका की बॉडी को देखना चाहते हो या उसका पोस्टमार्टम करवा दे तो हमने कहा कि हम बॉडी को देखना चाहते है। मृतका की बॉडी दो या तीन दिन तक रखी हुई थी। उसे आज याद नही है कि उसकी रिपोर्ट से पूर्व भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। उसके माता पिता से किरण ने कभी भी विकास व उसके परिजनो द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने हेतु कोई बात नही बताई थी। उसे राहुल ने फोन द्वारा सूचना दी कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली। उसके नंबर पर ही राहुल ने फोन किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 का ए से बी भाग सही लिखा हुआ है, उसके बताए अनुसार ही विनोद ने लिखा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद वह पुलिस के साथ घटनास्थल पर नही गया था। लाश उसे ही सुपुर्द की गई थी। प्रदर्श पी 2 का सी से डी भाग विनोद ने मेरे बताए अनुसार ही लिखा था, जो सही लिखा हुआ है। प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को लिखाया था या नही, उसे याद नही। प्रदर्श डी 1 के ए से बी भाग को छोडकर संपूर्ण भाग उसके द्वारा पुलिस को लिखवाया गया था। यह बात सही है कि उसके सामने पुलिस द्वारा डायरीनुमा रजिस्टर जिसमें सुसाइड नोट था, जब्त किया गया था उक्त जब्ती के दौरान पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर करवाए थे। वह किरण की हैंडराइटिंग नहीं

पहचानता है। प्रदर्श डी–3 रजिस्टर उसने पुलिस को दिया था जिसे वह झारखण्ड से लेकर आया था। प्रदर्श डी–3 रजिस्टर उसकी बहिन के द्वारा लिखा गया हो ऐसा कोई दस्तावेज उसने पुलिस को पेश नहीं किया है।

14. गवाह पीड–3 मृतका के चचेरे भाई सुमित कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि शादी के तीन माह पता चला कि किरण ने फांसी लगा ली। ऐसा पता चला कि विकास, किरण को दहेज लाने के लिए बोलता था और परेशान करता था। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि किरण की शादी के बाद उसकी उससे बात नहीं हुई। किसी भी तरीके से किसी भी साधन से उसका किरण से सम्पर्क नहीं हुआ। यह बात सही है कि किरण के मरने से पहले उसे यह नहीं पता था कि किरण का पति उससे दहेज संबंधी मांग करता हो। किरण की मृत्यु का कारण दहेज मांगना आदि उसके पिता व भाई ने बताया था। प्रदर्श डी–1 उसके पुलिस बयान है, उसे जैसा किरण के भाई ने बताया वैसे ही बयान उसने पुलिस में दिए थे। यह कहना सही है कि करण ने मृत्यु से पूर्व आत्महत्या का प्रयास किया हो तो वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि किरण ने कभी उसे नहीं बताया कि उसका पति या ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते हो।

15. गवाह पीड–4 मृतका के जीजा राजेश राणा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि शादी के थोडे दिन बाद उसे ससुराल से पता चला कि पैसे को लेकर झगडा चल रहा है, दहेज कम मिला। दिनांक 22.09.2017 को किरण ने विकास से परेशान होकर फांसी खा ली। एक सुसाईड नोट पुलिस ने जब्त किया था जो एक रजिस्टर में था उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी–5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि किरण उससे अच्छी तरह घुली मिली थी। किरण उसे अपने सुख–दुख के बारे में कोई बात नहीं बताती थी। किरण की शादी के बाद मृतका ने उससे एक या दो बार बात की होगी। उसकी किरण से बात अच्छी तरीके से हुई थी। विकास ने भी अच्छी तरीके से बात की थी। यह कहना सही है कि किरण की शादी से पहले, किरण की शादी के बाद व किरण की मृत्यु से पूर्व उसे यह नहीं पता था कि विकास, किरण से दहेज की मांग करता है। किरण ने दहेज की मांग के लिए कोई भी बात नहीं बताई, किरण की मॉ ने उसे बताया था। उसकी जानकारी में है कि सुसाईड नोट लिखा गया था और वह

किरण की स्वयं कलमी थी। उक्त सुसाईड नोट में यह लिखा था कि किवास उसे पैसों के लिए टॉर्चर कर रहा है। इस घटना से पहले किरण ने कभी भी आत्महत्या का प्रयास किया हो तो उसे पता नहीं।

16. गवाह पीड–5 मृतका के पिता चेतनलाल मिस्त्री ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि लडके वाले दहेज मांग रहे थे। लडके का नाम ध्यान नहीं किसने दहेज मांगा। उसके पति के ससुर ने दहेज मांगा। विकास ने दहेज मांगा। मारपीट करता था। जिससे उसकी लडकी मर गई। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि लडकी शादी विवाह सम्मलेन में हुई थी। किरण से उसकी 3 महीने में बात नहीं हुई। उसे लडकी ने बताया कि उसके साथ मारपीट व पैसों की मांग कर रहे हैं। उसकी लडकी से पैसे लडके वाले मांग रहे है, ऐसा उसकी लडकी ने उसे बताया। दाह संस्कार विकास ने किया था। दाह संस्कार के समय हमारा, किरण के ससुराल वालों का आपस में कोई झगडा नहीं हुआ था। वह नहीं जानता कि उसकी लडकी की शादी उसकी मर्जी से हुई या नहीं। यह कहना सही है कि उसकी लडकी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई।

17. गवाह पीड–10 मृतका के मामा महेन्द्र राणा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि किरण की शादी विकास के साथ हुई थी। शादी के बाद विकास व किरण जयपुर आ गये। किरण के साथ क्या करते थे, उसे पता नहीं। उसके पास कोई खबर नहीं है। घटना के समय विकास हजारीबाग गया हुआ था। फांसी क्यों लगाई, उसे पता नहीं। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसके सामने कोई रजिस्टर पुलिस ने जब्त नहीं किया। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया। किरण को कोई परेशानी नहीं थी कैसे व क्यों मृत्यु हुई, उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी–5 पर पुलिस वालों ने उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने उसके सामने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–5 सम्पूर्ण कार्यवाही करके ही उसके हस्ताक्षर करवाये हो। दौराने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह गवाह ने कथन किया कि उसके समक्ष विकास व उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग तथा किरण को कभी परेशान नहीं किया।

चिकित्सकीय साक्षीः–

18. गवाह पीड–5 डॉ. जितेन्द्र जोशी, गवाह पीड–6 डॉ. शशि मीणा तथा गवाह पीड–7 डॉ. रविन्द्र सचदेव ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.09.2017 को श्रीमती किरण का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान जांच करने पर मृतका के शरीर पर गले में लाइगेचर मार्क, जिसकी कुल लंबाई 29 सेमी., दाये कान से दूरी 5 सेमी., बाये कान से दूरी 1.5 सेमी., ठोडी से 7 सेमी. इस लाइगेचर मार्क के अंदर 9 सेमी का गेप जो कि बाये कान के नीचे था। लाइगेचर की चौडाई 1 से 1.5 सेमी के बीच में थी, डिस्केशन किए जाने पर लाइगेचर के अंदर जो टिश्यू था, उसमें किसी प्रकार का कोई हिमेटोमा नही था। हायोड बॉर्न एवं थॉयराइड कॉर्टिलेज पर किसी प्रकार का फ्रेक्चर नही था। लाइगेचर के नीचे जो रक्त नलिका थी वो दबी हुई थी। बोर्ड की राय में मृतका की मृत्यु का कारण एक्सीपिशिया, जो कि मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 है। दौराने जिरह गवाह पीड–5 ने कथन किया कि यह बात सही है कि मृतका के लाइगेचर मार्क के अलावा अन्य किसी प्रकार की चोट का निशान, नीलगू निशान शरीर पर नही था। प्रदर्श पी 6 के जी से एच भाग सेल्फ हैगिंग के संबंध में ही होता है, क्योकि शरीर पर संघर्ष के किसी प्रकार के चिह्न नही है। दौराने जिरह गवाह पीड–6 ने कथन किया है कि बोर्ड की राय में हैगिंक बाबत् लिखा हुआ है। गवाह पीड–7 ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह बात सही है कि मृतका के लाईगेचर मार्क के अलावा अन्य किसी प्रकार की चोट का निशान, नीलगू निशान शरीर पर नहीं था।

औपचारिक साक्षीः–

19. गवाह पीड–11 संतोष कुमार फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी–9 एवं फर्द जब्ती चुन्नी के दो टुकडे प्रदर्श पी–11 का गवाह है। गवाह पीड–13 श्रीराम स्वामी ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि मृतका का सामान चांदी की बिछिया, पायल उसके सामने जब्त नहीं किया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने बताये। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अनुसंधान साक्षीगणः–

20. गवाह पीड–8 मुकेश एवं गवाह पीउ–9 संजीव कुमार अभियुक्त की

फर्द गिरफ्तारी के गवाह है। गवाह पीड–12 प्रकरण का माल वजह सबूत एफएसएल में जमा करवाये जाने का साक्षी है। गवाह पीड–14 महादेव किरण की सास सविता देवी द्वारा पेश 3 जोडी चांदी की पायजेब, चांदी की बिछिया, नथ, पर्स आदि की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 का गवाह है। गवाह पीड–15 पुखराज प्रकरण में सुसाईड नोट व एक नोट बुक मृतका की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–15 का गवाह है। गवाह पीड–16 नगेन्द्र सिंह प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज करने का गवाह है। गवाह पीड–17 महावीर सिंह प्रकरण में आरोप पत्र पेश करन का गवाह है।

21. गवाह पीड–18 रामावतार सोनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रकरण की एफआईआर अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान प्रकरण में पूर्व में मर्ग सं. 23/17 दर्ज होना, जिसे प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना, सुसाईड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली करना, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, नक्शा मौका बनाना, घटना स्थल से चुन्नी के दो टुकडे जब्त करना, मृतका द्वारा लिखे गये सुसाईड नोट का अवालेकन करना एवं इसके स्वीकृत हस्तलेख एवं हस्ताक्षर हेतु परिवादी द्वारा पेश किया गया एक रजिस्टर जिसमें मृतका के पढाई करते समय हस्तलेख अंकित करना बताया था, को जरिये फर्द प्रदर्श पी–5 जब्त करना तथा प्रकरण में बादअनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसे गिरफ्तार करना बताया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि घटना स्थल पर मृतका के ससुराल पक्ष में उसकी सास, जेठ और जेठानी आदि मौजूद मिले थे अजखुद कहा कि घटना स्थल पर मृतका के पीहर पक्ष के भी कुछ लोग साथ गये थे। एफआईआर में मृतका द्वारा लिखे गये सुसाईड नोट बाबत् अंकन नहीं है। आज वह नहीं बता सकता कि मृतका अपने पति को पसन्द करती थी या नहीं। जब मृतका किरण की मृत्यु हुई उस समय विकास वहीं था या नहीं आज ध्यान नहीं। शादी में किरण को क्या–क्या सामान दिया था वह उसके परिजनों ने अपने कथनों में बताया था। किरण का दाह संस्कार उसके पीहर पक्ष तथा ससुराल वालों ने मिलकर किया था। यह कहना सही है कि जिस दिन मृतका ने आत्महत्या की थी उस समय विकास गॉव गया हुआ था। विकास तथा मृतका के परिजन मृतका की मृत्यु की सूचना पर एक ही ट्रेन से साथ आये हो तो उसे ध्यान नहीं है। किरण को

दहेज बाबत् पेरशान करने बाबत् फोन पर अपने पीहरजन को बताती थी, इस संबंध में उसने कोई सीडीआर नहीं ली थी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में दान–दहेज दिया जाता है या नहीं, यह उसकी जानकारी में नहीं है। रजिस्टर परिवादी मुकेश द्वारा मृतका के हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों बाबत् कहने पर उसने पेश किया था। रजिस्टर प्रदर्श डी–3,4,5 परिवादी मुकेश के द्वारा ही पेश किया गया था। प्रदर्श डी–3 रजिस्टर पर किरण का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है अजखुद कहा कि परिवादी मुकेश ने कहा था उक्त रजिस्टर को किरण पढाई के काम में लेती थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–4 एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श डी–6 सुसाईड नोट किस दिनांक को लिखा हुआ है आज याद नहीं है। प्रदर्श डी–6 सुसाईड नोट मृतका की मृत्यु से 4–5 दिन पूर्व का हो तो वह नहीं बता सकता है। प्रदर्श डी–6 जिस रजिस्टर से लिया, उस रजिस्टर को जब्त नहीं किया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–6 सुसाईड नोट में दो लाख रूपये की मांग करने तथा दहेज की मांग करने और मोटरसाईकिल की मांग करने के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यह उसके अनुसंधान में नहीं आया कि मृतका ने संदिग्ध मृत्यु से पहले सुसाईड की कोशिश की थी या नहीं। वह यह नहीं बता सकता कि मृतका किरण विकास से शादी करना चाहती थी या नहीं और उसकी इच्छा के विरूद्ध उसकी शादी हुई थी या नहीं।

22. गवाह पीड–19 संजू बाला मालखाना इन्चार्ज ने दिनांक 25.09.2017 को जब्तशुदा 2 सीलबन्द आर्टिकल उसे लाकर देना, जिन्हें मालखाना में जमा करना, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–18 एवं उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 होना बताया। इसी प्रकार दिनांक 30.त्र11.2017 को एक शील्डशुदा सफेद कपडे की थैली उसे लाकर देने पर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करना, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–19 एवं उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–19ए के रूप में प्रदर्शित करवाया।

23. गवाह पीड–20 विनोद कुमार ने दिनांक 22.09.2017 को एक व्यक्ति संजय द्वारा एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट उसके समक्ष पेश करने पर मृग संख्या 23/17 दर्ज करना बताया है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क :–

24. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

25. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित किये जाने के संबंध में गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित की जा रही हो अथवा उसे दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान किया जाता रहा हो। उनका यह भी तर्क रहा है कि वास्तव में मृतका का विवाह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था एवं इसी कारण तंग–परेशान होकर उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि मृतका ने अपने सुसाईड नोट में कहीं भी दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार के कोई तथ्य वर्णित नहीं किये है। प्रकरण में मृतका द्वारा फोन पर दहेज की मांग आदि के तथ्य बताना बताया है लेकिन कोई सीडीआर आदि प्रकरण में जब्त नहीं हुई है, मृतका की मृत्यु के अन्तिम क्रियाकलाप के संस्कार उसके पति द्वारा किये गये है जो भी अभियुक्त पर आरोपित अपराधों को असत्य होना दर्शित करते हैं। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं आई है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः—

1-Patel Babubhai Manhohardas & Ors Vs. State of Gujarat, Criminail appeal No. 1388/2014, S.C., Judgment 05-03-2025

2-Mahendra Awase Vs. The State of M.P., Criminal Appeal No. 221/2025, S.C., Judgment 17-01-2025

3-Chitresh Kumar Chopra Vs. State, Criminal Appeal No. 1473/2009, S.C. Judgment 10-08-2009

26. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रकरण में अभियुक्त पर मृतका के साथ विवाह के पश्चात् से लगातार शराब पीकर एवं मृतका के साथ दहेज की मांग के लिये मारपीट कर क्रूरता कारित किये जाने एवं मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व भी उसके साथ दहेज की मांग के लिए क्रूरता कारित किये जाने, जिसके फलस्वरूप मृतका की विवाह के 7 वर्षों के भीतर अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकने से दहेज मृत्यु होने, अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित करने के आरोप है, अभियोजन पक्ष

आरोपित अपराधों को अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय :-

27. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

28. जहॉ तक धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध को साबित किये जाने का प्रश्न है, इसके लिए धारा 304बी भा.द.सं. के प्रावधान का विवेचन किया जाना आवश्यक हैः–

''304–ख.दहेज मृत्यु–1 जहॉ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहॉ ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।''

304बी भा.द.सं. के संदर्भ में निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता हैः–

1. संजय कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 363 (373) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304ख के अन्तर्गत निम्न तत्व अपराध का गठन करते हैंः–

1–मृतका का विवाह के सात वर्ष के अन्दर मर जाना तथा मृतका के माता–पिता को सूचना दिए बगैर जल्दबाजी में दाह संस्कार करना,

2–मृतका के परिवार के सदस्यों से दहेज की शिकायत एवं मांग करना,

3–मृतका के साथ निर्दयता–पूर्वक व्यवहार करना एवं,

4–मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति के जलने के द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से परे होना।

2. न्यायिक दृष्टांत तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 2009 एस.

सी. 1454 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं कि 1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या स्वाभाविक परिस्थितियों से अन्यथा किसी प्रकार से कारित होनी चाहिए 2–ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो 3–उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उसे साथ क्रूरता किया गया था या उसको प्रपीडित किया गया था 4–ऐसी क्रूरता या प्रपीडन दहेज की मांग से संबंधित होनी चाहिए और 5–ऐसी क्रूरत को उसकी मृत्यु से तुरन्त पूर्व की होना दर्शित किया जाना चाहिए।

3. न्यायिक दृष्टांत हरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 680 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध के संघटक की उपधारणा के अनुसार किसी शारीरिक क्षति या जलने से या कुछ परिस्थितियों में जिसमें महिला की मृत्यु सामान्य नहीं है, 2–ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तारीख से 7 वर्षों के भीतर हो, 3–पीडित अपने पति या पति के किसी संबंधी द्वारा प्रताडना या क्रूरता की विषय बनायी गयी हो 4–ऐसी क्रूरता या प्रताडना दहेज की मांग के संबंध में या उसके लिए होनी चाहिए तथा 5–यह साबित होना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या प्रताडना उसकी मृत्यु के पूर्व की गयी थी।

4. न्यायिक दृष्टांत मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एस.सी.सी. 201 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

To sustain the conviction under Section 304B IPC, the following essential ingredients are to be established:

1- the Death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise than under a normal circumstance;

2- such a death should have occurred within seven years of her marriage;

3- she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband;

4- such cruelty or harassment should be for or in connection with demanf of dowry; and

5- such cruelty or harassment is shown to have been meted out to the woman soon before her death.

which is reitreatd in न्यायिक दृष्टांत Satbir Singh Vs. The State of Haryana on 28 May 2021, AIR 2021 S.C. 1879

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में मुख्यत यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के तहत अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि के लिये निम्न आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक हैः—

1—मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो।

2—मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने या अस्वाभाविक मृत्यु से हुई हो।

3—मृत्यु से पूर्व मृतका के पति या नातेदारों दहेज की मांग के लिए मृतका को तंग—परेशान करते थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसके व धारा 304बी भा.द.सं. की परिभाषा के तहत पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन व मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हैः—

29. **जहॉ तक प्रकरण की मृतका किरण की मृत्यु उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर होने का प्रश्न हैः—**

इस संदर्भ में स्वयं प्रकरण के परिवादी एवं मृतका के भाई मुकेश कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपनी बहिन किरण का विवाह 12.06.2017 को अभियुक्त के साथ होना एवं दिनांक 22.09.2017 को फोन पर किरण द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त होना बताया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान मृतका के चचेरे भाई पीड—1 विनोद कुमार, पीड—2 भाई मुकेश, पीड—3 चेचेरे भाई सुमित कुमार, पीड—4 जीजा राजेश राणा, मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सगण पीड—6 डॉ.शशि मीणा, पीड—7 डॉ. रवीन्द्र सचदेव के बयानों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी—6, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी—4 के अवलोकन से मृतका किरण का विवाह 12.06.2017 को अभियुक्त के साथ होना एवं दिनांक 22.09.2017 को मृतका की मृत्यु होने का तथ्य प्रकट होता है।

30. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से मृतका किरण की मृत्यु उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर होने का तथ्य साबित होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष परीक्षित गवाहान के कथनों से धारा 304बी भा.द.सं. के प्रथम आवश्यक तत्व

को साबित करने में सफल रहा है।

31. **जहॉं तक मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने या अस्वाभाविक परिस्थितियों में होने का प्रश्न हैः—**

इस संदर्भ में स्वयं प्रकरण के परिवादी एवं मृतका के भाई मुकेश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किरण की हत्या पूरे परिवार के द्वारा मिलकर करने का आरोप लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान मृतका के चचेरे भाई पीड—1 विनोद कुमार ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उन्हें सूचना मिली कि किरण ने फांसी लगा ली है और मुकेश ने बताया कि विकास सोने की चैन व 2 लाख रूपये मांग रहा है। गवाह पीड—2 मुकेश ने भी विकास के भाई से फोन पर दिनांक 22.09.2017 को किरण द्वारा फांसी लगाने की सूचना प्राप्त होने का कथन किया है। गवाह पीड—3 सुमित कुमार ने भी कथन किया है कि शादी के 3 महीने बाद उसे पता चला कि किरण ने फांसी लगा ली है। इसी तरह गवाह पीड—4 राजेश राणा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि शादी के थोडे दिन बाद उसे ससुराल से पता चला कि पैसे को लेकर झगडा चल रहा है, दहेज कम मिला। दिनांक 22.09.2017 को किरण ने विकास से परेशान होकर फांसी खा ली। इस प्रकार इन सभी गवाहान की साक्ष्य यह दर्शित करती है कि मृतका द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त की गई थी। मृत्यु के कारणों को जानने के लिए मृतका के शरीर का पोस्टमार्टम करने हेतु चिकित्सकीय बोर्ड का गठन किया गया था। उक्त पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. जितेन्द्र, डॉ. शशि मीणा, श्री रविन्द्र सचदेव क्रमशः पीड—5, 6 एवं 7 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए है जिन्होंने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.09.2017 को पुलिस थाना करणीविहार की तहरीर पर मृतका किरण पत्नी विकास का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर गले में लाईगेचर मार्क, जिसकी कुल लम्बाई 29 से.मी., दाये कान से दूरी 5 से.मी., बांये कान से दूरी 1.5 से.मी., ठोडी से 7 से.मी., लाईगेचर मार्क के अन्दर 9 से.मी. का गेट जो कि बांये कान के नीचे था, लाईगेचर की चौडाई 1 से 1.5 से.मी. के बीच में थी, डिस्केशन किए जाने पर लाईगेचर के अन्दर जो टिश्यू था, उसमें किसी प्रकार का कोई हिमेटोमा नहीं था। हायोड बॉर्न एवं थॉयराईड कॉर्टिलेस पर किसी प्रकार का फ्रेक्चर नहीं

था। लाईगेचर के नीचे रक्त नलिका दबी हुई थी। बोर्ड की राय में मृतका की मृत्यु का कारण एक्सीफिसिया था जो कि मृत्यु पूर्व हैंगिक के कारण था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 प्रदर्शित कराई गई। इस प्रकार इन गवाहान की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी एवं गले में ''वी'' आकृति का लाईगेचर मार्क पाया गया जो कि मृतका के स्वयं फंदे पर लटकने को दर्शित करता है। ऐसे में इन गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से हुई है।

32. प्रकरण में अब तक किये गये अभियोजन साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन धारा 304बी भा.द.सं. के आवश्यक अव्यवों में से दो अव्यवों को सन्देह से परे साबित कर पाने में सफल रहा है अर्थात् अभियोजन यह साबित कर पाने में सफल रहा है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई तथा मृतका की मृत्यु सामान्य/प्राकृतिक मृत्यु नहीं होकर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने के कारण हुई है। अब न्यायालय को यह देखा जाना है कि क्या मृतका मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर क्रूरता का शिकार रही या उसे दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान किया जाता रहा। साथ ही यह न्यायालय धारा 498ए भा.द.सं. में परिभाषित क्रूरता के अपराध हेतु भी अभियोजन साक्ष्य का इसी स्तर पर साथ में विवेचन किया जाना न्यायसंगत पाता है।

33. धारा 498ए भा.द.सं. के तहत क्रूरता को निम्न अनुसार परिभाषित किया गया हैः–

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''क्रूरता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः––

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को(जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

अर्थात् उपरोक्त परिभाषा के अनुसार क्रूरता के अपराध के जो दो आवश्यक अव्यव है उसमें प्रथम ऐसा आचरण है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है एवं द्वितीय उस स्त्री या उसके नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करने के लिए प्रपीडित किया जाये, को क्रूरता माना गया है। ऐसे में दहेज की मांग को लेकर मृत्यू पूर्व क्रूरता एवं तंग–परेशान करने तथा धारा 498ए भा.द.सं. में परिभाषित क्रूरता के प्रकाश में प्रकरण में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखे तो प्रकरण के परिवादी एवं मृतका के भाई मुकेश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी बहिन किरण का विवाह 12 जून 2017 को विकास राणा के साथ होना हुआ था, जिसके साथ दूसरे दिन से ही मारपीट और प्रताडित करना चालू कर देना, अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल एवं सोने की चैन की मांग एवं पूरे परिवार द्वारा नगद दो लाख रूपये की मांग करना बताया। परिवादी का आगे यह भी कथन रहा है कि वह उक्त मांग की पूर्ति नहीं कर पाये और दिनांक 22.09.2017 को उसकी बहिन के पति के भाई राहुल कुमार ने फोन पर किरण द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास करने और उसकी हालत गम्भीर होने की सूचना दी और उसके कुछ देर पश्चात् उसके बडे भाई संजय कुमार के मोबाईल पर फोन करने पर उसके द्वारा किरण की मौत हो जाना बताया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल एवं सोने की चैन की मांग करने का आक्षेप लगाया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी पीड–1 विनोद ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह मृतका का चचेरा भाई है, मृतका के भाई मुकेश ने उसे बताया था कि अभियुक्त मृतका से सोने की चैन एवं दो लाख रूपये की मांग को लेकर तंग–परेशान व मारपीट करता है। इस कारण किरण ने फांसी लगा ली। इसी तरह गवाह पीड–3 सुमित जो कि मृतका का चचेरा भाई है, ने भी अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि किरण की शादी दिनांक

12.06.2017 को विकास से हुई थी और उसे पता चला कि विकास, किरण को दहेज के लिए बोलता था और परेशान करता था। गवाह पीड–4 जीजा राजेश राणा ने भी अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि किरण की शादी विकास के साथ दिनांक 12.06.2017 को हुई थी। शादी के थोडे दिन बाद उसे पता चला कि पैसे को लेकर झगडा चल रहा है, दहेज कम मिला। दिनांक 22.09.2017 को किरण ने विकास से परेशान होकर फांसी खा ली। गवाह पीड–1 विनोद, पीड–3 सुमित तथा गवाह पीड–5 पिता चेतनलाल मिस्त्री ने अपने सशपथ बयानों में विकास द्वारा दहेज मांगने एवं मारपीट करने का कथन किया है एवं यह भी कथन किया है कि उन्होंने जो कुछ बताया है वह उन्हें मुकेश से पता चला है।

34. इस प्रकार इन सभी गवाहान द्वारा शादी के पश्चात् से ही अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान करने एवं मारपीट करने बाबत् कथन किये गये है एवं सभी गवाहान द्वारा यह दर्शित किया गया है कि उन्हें ये सारी बातें मृतका के भाई मुकेश के जरिये पता चली थी। स्वाभाविक रूप से परिवार में यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों से मृतका की प्रत्यक्ष बातचीत होती हो। यह सामान्य मानवीय व्यवहार है एक व्यक्ति परिवार में जिससे वह ज्यादा करीब होता है उसी से वार्तालाप करता है और अपनी समस्या बताता है। ऐसे में मुकेश इस प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त मुकेश को पीड–2 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया गया है जिसने अपने सशपथ बयानों में स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप स्पष्ट रूप से कथन किये है कि उसकी बहिन किरण की शादी दिनांक 12.07.2017 को विकास के साथ हुई थी। विकास बाईक और चैन की मांग कर रहा था और विकास के परिवार वाले दो लाख रूपये नकद की मांग कर रहे थे। यह बातें उसे उसकी बहिन किरण ने बताई थी। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त बातें पता चलने पर उसने अपनी बहिन को स्वयं के जयपुर आने के लिए कहा तो उसकी बहिन ने उसे कहा कि अभी मत आओ, नवरात्रा पर आ जाना, तब बात करेंगे। इसके पश्चात् 22 सितम्बर 2017 को विकास के भाई का फोन आया कि किरण ने फांसी लगा ली है। इस प्रकार उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज की मांग आदि

के बारे में सुस्पष्ट कथन किये हैं एवं उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण को देखे तो गवाह से यह स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि शादी के बाद उसकी बहिन व उसके मध्य कई बार बात हुई। उसकी बहिन के पास प्राईवेट फोन नहीं था वह विकास के फोन से या घर में किसी अन्य के फोन से बात करती थी। शादी के शुरूआती दिनों में किरण ने ठीकठाक होना बताया लेकिन मरने से 20–25 दिन पूर्व उसने बताया कि उसके साथ ससुराल में मारपीट एवं दहेज की मांग करते हैं और विकास उसके साथ मारपीट करता है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त पक्ष की ओर से गवाह से यह स्वीकृति प्राप्त की गई है कि उसकी बहिन उसे दहेज की मांग, अभियुक्त द्वारा मारपीट करने आदि तथ्यों के संबंध में बताती थी। उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसे कोई तथ्य प्रकट करवाने में असफल रहा है जो कि उसके मुख्य परीक्षण की सत्यता को प्रश्नगत बनाती हो अर्थात् उक्त गवाह के कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रहे हैं। इस प्रकार मृतका के भाई पीड–2 मुकेश की साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा मृतका के प्रति कारित दहेज की क्रूरता, मारपीट एवं उसे तंग–परेशान करने के तथ्य को दर्शित करती है। उक्त गवाह की साक्ष्य की सम्पुष्टि मृतका द्वारा लिखे गये सुसाईड नोट से होती है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है और ना ही बचाव पक्ष की ओर से दर्शित किया गया है जो कि इस गवाह की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किये जाने को न्यायोचित ठहराता हो।

35. यहॉ विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि गवाह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी बहिन के साथ परेशानी होने के तथ्य की जानकारी होने के बावजूद वह जयपुर नहीं आया, जो आरोपित अपराधों की सत्यता को प्रश्नगत बनाता है वरना कोई भी भाई अपनी बहिन के साथ परेशानी की सूचना मिलने के बाद तुरन्त उसे सम्भालने जायेगा। इस न्यायालय के विनम्र मत में यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि स्वयं गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब उसकी बहिन किरण से बात हुई और उसने पूछा कि उसके आने की जरूरत है तब उसकी बहिन ने कहा था कि अभी आने की जरूरत नहीं है नवरात्रा में वह आ रही है तभी बैठकर आराम से बात कर लेंगे एवं आगे यह स्पष्ट किया है कि उसने डर के कारण भी उसे नहीं बताया। अब यदि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी

पीड–18 रामावतार सोनी के सशपथ बयानों को देखे तो उसने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कथन किये है एवं अनुसंधान अधिकारी से प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि गवाह मुकेश के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान वैसे ही लिखे थे जैसे मुकेश ने बताये थे। यह भी स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का सी से डी भाग पूरा परिवार दो लाख रूपये की मांग करने वाली बात मुकेश ने अपने बयानों में लिखाई थी, ऐसा एफआईआर में भी लिखा है। इस प्रकार प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पीड–2 मुकेश ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अपनी बहिन किरण द्वारा अभियुक्त विकास द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल एवं सोने की चैन की मांग के लिये उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना कारित किये जाने का तथ्य बताया जाना बताया है, प्रतिपरीक्षण में भी उक्त गवाह के दहेज की मांग आदि के बाबत् कथन अखण्डनीय रहे हैं।

36. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता रामावतार सिंह पीड–18 के रूप में परीक्षित हुआ है जिन्होंने प्रकरण में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान एवं मृतका के हस्तलिपि रजिस्टर आदि जब्त करने बाबत् साक्ष्य दी है एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत करने बाबत् कथन किये हैं। अनुसंधान अधिकारी से प्रतिपरीक्षण में गवाह मुकेश के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुलिस बयान के संबंध में प्रश्न किये जाने पर अनुसंधान अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि मुकेश का पुलिस बयान जैसा उसने बताया वैसा ही लिखा था एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का सी से डी भाग ''पूरा परिवार दो लाख रूपये की मांग करता है'' के संबंध में स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई एवं अनुसंधान अधिकारी से यह स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि यह बात मुकेश ने अपने बयानों में लिखवाई थी तथा यह एफआईआर में भी लिखी है एवं इसका कोई प्रतिउत्तर में खण्डन बचाव पक्ष न्यायालय के समक्ष दर्शित करने में विफल रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर आई समग्र साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा विवाह के पश्चात् क्रूरता कारित की जाती रही तथा मृत्यू से पूर्व वह दहेज की मांग को लेकर क्रूरता, तंग–परेशान करने का शिकार रही है।

37. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मृतका द्वारा अपने विवाह

के मात्र तीन माह में आत्महत्या कर ली गई थी एवं मृतका ने घटना से पूर्व एक सुसाईड नोट लिखा था जिसे प्रदर्श डी–6 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है जिसमें मृतका ने मृत्यु से पूर्व यह कथन किया है कि :–

जब से उसकी शादी हुई है तब से आज तक तिल–तिल कर मर रही है इसलिए आज उसने सोचा कि तिल–तिल कर मरने से अच्छा एक ही बार मर जाये। उसके इस कदम उठाने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और वो है विकास कुमार शर्मा। वो रोज दारू पीकर आते थे और मारपीट लडाई–झगडा करता था। दिनांक 16.09.2017 की शाम को पीकर आये और लडाई–झगडा किया और आराम से सो गये। निांक 17.09.2017 को सुबह को भी पीकर आये और बिना वजह के लडाई–झगडा मारपीट करने लग गये। लडाई–झगडा कर के वह गॉव चले गये। लडाई–झगडे की वजह यह रहती थी कि वह बोल देती थी कि क्यों पीते हो, तब वह बोलते थे कि वह अपने रूपयों का पीता है, उसके बाप ने क्या दिया है, उसके बाप ने एक रूपया भी नहीं दिया, उसने मृतका के साथ शादी करके अहसान किया है। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। शादी के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था ये सब। लेकिन वह अपने घर वालों को नहीं बता पाई क्योंकि वो लोग बहुत विश्वास करते थे। अगर वह यह सब बता देती तो उसे ये सब नहीं झेलना पडता। वह पहली बार नहीं दूसरी बार अपनी जान देने जा रही थी। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी थी लेकिन किस्मत से बच गयी थी लेकिन इस बार नहीं। उस आदमी के साथ जीना मुश्किल है। और बहुत सी बात है जो इस फैमली से पता पड जायेगा। अगर ये छुपायेंगे तो इनकी मर्जी। ये नशा छुडाने के चक्कर में हम लोग नशा मुक्ति केन्द्र में भी भेजे लेकिन वो वहॉ से भी भाग आये। तब हम लोग सोचे कि फिर से नशा मुक्ति केन्द्र में डालते हैं लेकिन पता नहीं उनको कैसे पता पड गया और वो लडाई–झगडा करके गांव चले गये। उसकी मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ विकास कुमार शर्मा का ही हाथ है। उसे प्लीज इंसाफ दिलायेगा, प्लीज।

38. उक्त सुसाईड नोट प्रदर्श डी–6 दौराने अनुसंधान जब्त किया जाकर उसकी हस्तलिपि मिलान हेतु उसका पूर्व लिखित रजिस्टर प्रदर्श डी–3 एवं उसका एडमिट कार्ड प्रदर्श डी–4/5 जब्त किया गया था एवं उसे एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 के रूप में प्रदर्शित कराई

गई है, जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त सुसाईड नोट प्रदर्श डी–6 मृतका के द्वारा ही लिखा गया था। इस संबंध में गवाह पीड–4 राजेश राणा से प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि ''मेरी जानकारी में है कि सुसाईड नोट लिखा गया था और वो किरण की स्वयं की कलमी थी'' साथ ही गवाह पीड–2 मुकेश कुमार से भी यह प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई है कि ''मेरे समक्ष पुलिस द्वारा डायरीनुमा रजिस्टर जिसमें सुसाईड नोट था, जब्त किया गया था।'' यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि सुसाईड नोट प्रदर्श डी–6 को अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित कराया गया है जो स्वयंमेव की उक्त दस्तावेज के संबंध में अभियुक्त की स्वीकृति को दर्शित करता है।

39. उक्त सुसाईड नोट के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि उक्त सुसाईड नोट में मृतका ने कहीं भी यह वर्णित नहीं किया है कि उसके साथ की जाने वाली मारपीट दहेज की मांग को लेकर की जाती रही हो, उक्त तर्कों के प्रकाश में सुसाईड नोट का अवलोकन करे तो यह सही है कि मृतका ने सीधे तौर पर दहेज की मांग के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं लेकिन मृतका ने शादी के बाद से ही शराब पीकर अभियुक्त द्वारा मारपीट करने के बारे में स्पष्ट आक्षेप वर्णित किये है एवं सुसाईड नोट के प्रथम पृष्ठ पर लडाई–झगडे की वजह स्पष्ट करते हुए मृतका ने यह अंकित किया है कि जब वह उसे पीने के लिए रोकती थी तब वह कहता था कि वह अपने रूपयों की पीता है, मृतका के पिता ने क्या दिया है, एक रूपया भी नहीं दिया, उसने मृतका के साथ शादी कर अहसान किया है। उक्त तथ्य यह दर्शित करते है कि अभियुक्त विवाह में दिये गये सामान से सन्तुष्ट नहीं था एवं विवक्षित रूप से उक्त कथन यह दर्शित करते हैं कि मृतका के साथ शराब पीकर मारपीट की मुख्य वजह दहेज की मांग रही है। इसके अतिरिक्त यदि एक लडकी विवाह के मात्र तीसरे महीने में आत्महत्या जैसा गम्भीर कदम उठाने की ओर से अग्रसर होती है एवं तत्सतय विद्यमान रही उसकी मानसिक स्थिति में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह स्पष्ट रूप से हर तथ्य का वर्णन करे। साथ ही मृतका ने अपने सुसाईड नोट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उस आदमी के साथ जीना मुश्किल है और बहुत सी बातें है जो इस फैमिली से पता पड जायेगी अगर ये छुपायेंगे

तो इनकी मर्जी। मृतका द्वारा अपने सुसाईड नोट में लिखे गये ये शब्द पुनः दर्शित करते हे कि मृतका को तंग–परेशान करने एवं उसके साथ मारपीट करने के पीछे अन्य कोई कारण भी विद्यमान थे एवं उन्हीं कारणों की पुष्टि मृतका के भाई पीड–2 मुकेश द्वारा अपने सशपथ बयानों में करते हुए मृतका को तंग–परेशान करने के पीछे मुख्य वजह दहेज की मांग एवं विवाह में कम दहेज देना जाहिर किया है।

40. धारा 304बी भा0दं0सं0 के तहत क्रूरता विवाह से ठीक पूर्व होना तथा क्रूरता व उसके अनुसरण में किये गये कृत्य में एक संजीव संबंध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में देखे तो मृतका द्वारा लगभग तीन महीने की अवधि में ही आत्महत्या कर ली गई है एवं मृतका ने अपने सुसाईड नोट प्रदर्श डी–6 में स्पष्ट रूपन से यह इदर्शित किया है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से लेकर आज तक वह तिल–तिल कर कर रही है एवं सुसाईड नोट के प्रथम पृष्ठ के अन्त में पुनः मृतका ने अंकित किया है कि ये सब शादी के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था अर्थात् मृतका के साथ लगातार विवाह के ठीक बाद से क्रूरता का कृत्य अभियुक्त द्वारा कारित किया जाता रहा है और विवाह के पश्चात् जहॉ प्रारम्भिक दो–तीन माह एक विवाहित महिला के लिये अपने आगामी जीवन के सुन्दर स्वप्न सजोने का एवं उन्हें क्रियान्वित होते हुए देखने का समय होता है, वही समय उसके लिए इस कदर पीड़ादायक बन गया कि उसे अपनी जीवनलीला समाप्त करने हेतु बाध्य होना पडा। यह तथ्य स्पष्टतयाः अभियुक्त द्वारा कारित क्रूरता एवं उसके अनुसरण में मृतका द्वारा की गई आत्महत्या में एक सजीव संबंध को दर्शित करता है।

41. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि मृतका के भाई पी.ड.2 मुकेश ने स्वीकार किया है कि मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर जब वह ट्रेन से जयपुर आ रहा था तो अभियुक्त भी उसके साथ ट्रेन में था एवं दाह संस्कार के समय आपस में किसी प्रकार की कोई कहा–सुनी नहीं हुई, ना ही दाह संस्कार तक उसने अभियुक्त अथवा उसके घर वालों को मृतका की मृत्यु के संबंध में कुछ नहीं कहा। इसके अतिरिक्त मृतका का दाह संस्कार अभियुक्त द्वारा ही किया गया, जो कि यह दर्शित करता है कि प्रकरण में दहेज को लेकर तंग–परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी। यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क से सहमत नहीं है,

क्योंकि मृतका द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त होने पर जब मृतका का भाई ट्रेन में साथ आ रहे थे एवं उसके साथ उसके कथनानुसार अगले स्टेशन पर अभियुक्त भी उसी ट्रेन में सवार हो गया एवं इस दौरान उनकी कोई बातचीत मृतका की मृत्यु के संबंध में नहीं हुई, इससे यह दर्शित नहीं होता है और अन्यथा भी यह साबित नहीं होता है कि मृतका व अभियुक्त के मध्य मधुर संबंध होते हुए दहेज को लेकर तंग–परेशान करने वाली कोई बात नहीं रही हो, क्योंकि पत्रावली पर आई अन्य साक्ष्य एवं मृतका द्वारा लिखा गया सुसाईड नोट स्पष्टतयाः यह दर्शित करते है कि मृतका के साथ विवाह के पश्चात् अभियुक्त द्वारा शराब पीकर शादी में समुचित दहेज नहीं दिये जाने एवं दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित की जाती रही है।

42. इस प्रकार अभियोजन पक्ष के उपर किये गये विवेचन से अभियुक्त विकास शर्मा के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के अपराध के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध विकल्प में धारा 306 भा.द.सं. के अपराध का भी आरोप विरचित किया गया है, इस संबंध में न्यायालय का मत यह है कि जहॉ मुख्य आरोप धारा 304बी भा.द.सं. को सन्देह से परे प्रमाणित इस न्यायालय द्वारा पाया गया है, वहॉ वैकल्पिक आरोप धारा 306 भा.द.सं. के संबंध में विवेचन किया जाना यह न्यायालय आवश्यक/न्यायोचित नहीं पाता है।

निष्कर्षः–

43. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपर किये गये विवेचन के अनुक्रम में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

1– अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ उसके विवाह दिनांक 12.06.2017 को सम्पन्न होने के पश्चात् से ही दहेज की मांग को लेकर शराब पीकर मारपीट की जाती रही है एवं अभियुक्त का आचरण मृतका के प्रति इस प्रकृति का रहा है जिससे मृतका आत्महत्या करने हेतु प्रेरित हुई।

2– अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान किया जाता रहा एवं उसके कारण मृतका द्वारा विवाह के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली गई अर्थात् मृतका की मृत्यु ''दहेज मृत्यु''

की कोटी में आती है।

44. फलस्वरूप अभियुक्त विकास शर्मा को धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के अपराधों के आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

(आशुतोष कुमावत)

—:: आदेश ::—

45. अतः अभियुक्त विकास शर्मा को धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के अपराधों के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। चूंकि अभियुक्त जमानत पर है इसलिये उसके अन्वीक्षाकालीन जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

(आशुतोष कुमावत)

सजा के बिन्दू पर सुना गया।

46. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन है कि प्रार्थी—अभियुक्त लगभग 32 वर्षीय नवयुवक है, वह परिवार में जीविकोपार्जन करने वाला एक मात्र सदस्य है, अभियुक्त की पूर्व की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, यह उसका प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध आरोपित अपराध में मृत्युदण्ड से दण्डनीय दण्ड का प्रावधान नहीं है, अभियुक्त लम्बे समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है इसलिये अभियुक्त के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तथ्यों का विरोध करते अभियुक्त को उचित सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

47. उभय पक्षों के तर्कों तथा प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध बताया गया है, उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अभियुक्त 32 वर्षीय नवयुवक बताया गया है उसे परिवार में अकेला जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति बताया गया है तथा अभियुक्त प्रकरण में लगभग सात वर्ष से लगातार अन्वीक्षा भुगत रहा है उसके विरूद्ध साबित आरोपों में मृत्युदण्ड के दण्ड का प्रावधान नहीं है परन्तु यहां यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए दी गई

प्रताड़नाओं एवं मारपीट के अनुसरण में विवाह के तीन माह की अवधि में ही मृतका द्वारा आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त की गई है। एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुन्दर भविष्य, जीवन के स्वप्न देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है एवं तत्समय उस लड़की के मन में एक ऐसा विश्वास होता है कि उसका पति उसके पिता के भाती आगामी जीवन में उसके सहगामी के रूप में उसका संरक्षण करेगा, उसका भरण–पोषण करेगा एवं आने वाली सन्ततियों का भरण–पोषण करेगा एवं विवाह के पश्चात् प्रारंभिक वर्ष उन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव के लिए आधार तैयार करते हैं, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का जो क्रूरतापूर्ण आचरण अपनी विवाहिता पत्नि के प्रति रहा है वह दर्शित करता है कि विवाह के ठीक बाद मृतका किस मानसिक यंत्रणा एवं पीड़ा के दौर से गुजरी है। अभियुक्त द्वारा दी गई यंत्रणाओं के कारण इस कदर वह तंग–परेशान हो गई कि विवाह के पश्चात् तीन महीने की अवधि में ही उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। दहेज की मांग एवं क्रूरता एक सामाजिक अभिशाप है एवं उक्त कृत्य महिला के साथ किये जाने वाले विभत्स कृत्यों में से एक है। ऐसे मामलों में कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति संभव है। ऐसे में यह न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार की नरमी का रूख अपनाए बिना उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाना विधिनुरूप पाता है।

::दण्डादेश::

48. अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र स्व. श्री काशीराम, निवासी–गॉव बडा डहर भंगा, पुलिस थाना टाटीडजारियां जिला–हजारीबाग, हाल प्लॉट नं. 29, मॉ वैष्ण नगर, लालरपुरा, थाना करणी विहार, जयपुर को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000/–(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 304बी भा.द.सं. के दोषसिद्ध आरोप में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उपरोक्त दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त के द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं

न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि उसकी मूल सजा में से समायोजित की जावे, इस आशय का नोट अभियुक्त के सजा वारंट पर अंकित किया जावे। अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु नियमानुसार उसका सजा वारंट अविलम्ब तैयार किया जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। प्रकरण में जब्तशुदा दो चुन्नी की टुकड़े बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नष्ट किये जावे।

49. राज्य–सरकार के द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क, ख, ग जोडी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में स्वयं परिवादी पक्ष ने अखण्डनीय साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध करवाई है। चूंकि परिवादी पक्ष की साक्ष्य अखण्डनीय होने से उसके विरूद्ध घटना होना पाया जाता है। अतः धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् परिवादी को प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत होने से परिवादी को प्रतिकर दिलाया जाने की अनुशंसा की जाती है।

(आशुतोष कुमावत)

50. निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(आशुतोष कुमावत)